न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–07 / 2025
जीसीएमएस नं.–2025 / 72

जसपाल सिंह पुत्र हरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 75 जी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीएक्ट.
बाबत् लघुतम मार्ग से भूमिगत पाईप लाईन स्वीकृति

दिनांक:–29/9/25

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 75 जीबी मुरब्बा नं.–56 पत्थर सं.–278 / 441 का किला नं.–5 का प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि हैं, से पाईप लाईन इसी चक के मुरब्बा नं.–51 पत्थर सं. –278 / 440 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5, मुरब्बा नं.–46 पत्थर सं. –278 / 439 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5 वा मुरब्बा नं.–41 पत्थर नं. –278 / 438 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5 में स्थित चक के कच्चे रास्ता से पाईप लाईन निकाल अपनी ही कृषि भूमि के मुरब्बा नं.–36 पत्थर सं–278 / 437 के किला नं.–25 में लाना चाहता है। जिसके लिए इस न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है। प्रार्थी इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता हैं कि मुरब्बा नं.–56 पत्थर सं.–278 / 441 का किला नं.–5 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। जमाबंदी की प्रति सलग्न हैं तथा इस कृषि भूमि से पाईप लाईन मुरब्बा नं.–51 पत्थर सं.–278 / 440 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5. मुरब्बा नं.–46 पत्थर सं–278 / 439 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5 व मुरब्बा नं.–41 पत्थर सं. –278 / 438 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5 में स्थित चक के कच्चे रास्ता से पाईप लाईन निकाल अपनी ही कृषि भूमि के मुरब्बा नं.–36 पत्थर सं–278 / 437 के किला नं.–25 में लाना चाहता हैं तथा मुरब्बा नं.–36 पत्थर सं–278 / 437 के किला नं.–25 भी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। जमाबंदी के अनुसार मुरब्बा नं.–30 पत्थर सं.–278 / 437 की 25 बीघा हालांकि प्रार्थी के साथ अन्य सहकृषक भी हैं परन्तु यह कृषि भूमि किला नं.–25 प्रार्थी ने घरेलु बंटवारा मे प्राप्त कर रखी हैं तथा यह किला प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में है। प्रार्थी इस सन्दर्भ में यह भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:37 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

स्पष्ट करना आवश्यक समझता हैं कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मुरब्बा नं.–51 पत्थर सं.–278/440, मुरब्बा नं.–46 नं–51 पत्थर सं.–278/440, मुरब्बा नं–46 पत्थर सं–278/439 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5 से अरसा दराज से चक का कच्चा रास्ता चल रहा हैं तथा इस कच्चे रास्ते से ही प्रार्थी पाईप लाईन निकालना चाहता है। जिस पर अप्रार्थी का ही स्वामित्व है। प्रार्थी इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता हैं कि प्रार्थी उपरोक्त वर्णित पाईप लाईन जो निकालना चाहता हैं वह चक के कच्चा रास्ता से लेना चाहता हैं इसलिए इन परिस्थितियो में जमाबंदी मे वर्णित अन्य सहकृषक को इस प्रयोजन के लिए पक्षकार बनाया जाना कतई तौर पर आवश्यक नहीं है। केवल वर्तमान में अप्रार्थी को ही पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता हैं कि अनुपगत उपरोक्त वर्णित मुरब्बाजात में स्थित कच्चा रास्ता से पाईप लाईन निकाले जाने हेतु चूकिं यह भूमि रास्ता खेत के खाता की कृषि भूमि हैं तथा रास्ता खेत के खाता में ही दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र में दर्ज केवल अप्रार्थी को ही इस सन्दर्भ में सुना जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि वाके चक 76 जीबी मुरब्बा नं.–56 पत्थर सं.–278/441 का किला नं.–5 का प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है, से पाईप लाईन इसी चक के मुरब्बा नं.–51 पत्थर सं.–278/440 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5, मुरब्बा नं.–46 पत्थर सं. –278/439 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5 या मुरब्बा नं.–41 पत्थर सं. –278/438 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5 में स्थित चक के कच्चे रास्ता से पाईप लाईन निकाल अपनी ही कृषि भूमि के मुरब्बा नं.–36 पत्थर सं.–278/437 के किला नं.–25 में लाने के लिए अनुमति दी जाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी चक 75 जी बी पत्थर नं.–278/441 का मुरब्बा नं.–56 का किला नं.–5/1 का 0.025 हैक्टर रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज हैं जिसमें प्रार्थी का विधुतीकृत ट्यूबवे[illegible] मुरब्बा नं. –56 पत्थर नं.–278/441 के ठीक उत्तर दिशा में स्थित पत्थर [illegible] 278/440 मुरब्बा नं.–51 व इसके उत्तर दिशा में [illegible] –46 व इसके उत्तर दिशा में स्थित पत्थर नं.–278/438 का मुरब्बा [illegible]–41 तक उक्त तीनो मुरब्बो 41, 46, 51 प्रत्येक के किला नं.–5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा गै.मु. रास्ता है। मुरब्बा नं.–41 के किला नं.–5 में सिर्फ 0.051 हैक्टर रकबा है शेष रकबा सड़क (अनूपगढ़ से सूरतगढ़ स्टेट हाईवे) में आता है। पत्थर नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:37 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

–278 / 437 का मुरब्बा नं.–36 का किला नं.–25 सयुक्त खाता में प्रार्थी जसपाल सिंह पुत्र हरदयालसिंह, सरूप सिंह पुत्र हरदयालसिंह व मन्दरसिंह पुत्र हरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी 75 जी बी के नाम से दर्ज हैं जहा तक प्रार्थी पाईप लाईन निकालना चाहता हैं इस किला में 0.177 हैक्टर रकबा है। इस किला नं.–25 का 0.051 हैक्टर रकबा रेलवे लाईन में आ जाता हैं मुरब्बा नं.–36 व 41 के बीच लगभग एक बीघा चौड़ाई में से अनूपगढ़ से सूरतगढ़ स्टेट हाईवे व रेलवे लाईन गुजर रही है। प्रार्थी अपने मुरब्बा नं.–56 के टयूबल से लेकर मुरब्बा नं.–51, 46, 41 में उपरोक्तानुसार गैर मुमकिन रास्ते में से भूमिगत पाईप लाईन मुरब्बा नं.–36 का किला नं.–25 तक सिचाई सुविधा हेतु ले जाना चहता है।.जिसकी स्वीकृती हेतु प्रकरण सं.–07 / 2025 अनवान जसपाल सिंह बनाम् सरकार अन्तर्गत धारा 251 ए दायर किया गया है। प्रस्तावित भूमिगत पाईपलाईन डालने हेतु प्रार्थी कुल 2442 फीट यानि 744.5 मीटर लम्बाई में गै.मु. रास्ते का उपयोग करना चाहता है। शेष लगभग 50 मीटर स्टेट हाईवे व रेलवे लाईन गुजर रही है। जिनके नीचे से दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर पाईपलाईन गुजारनी होगी तब जाकर मुरब्बा नं.–36 के किला नं.–25 में प्रस्तााावित पाईप लाईन के मुहाने तक पहुच होगी। मुरब्बा नं.–36 के किला नं.–25 से लेकर मुरब्बा नं.–41, 46, 51 व 56 के किला नं.–5 को दर्शाते हुए नजरी नक्शा व जमाबदीयो निर्धारित प्रारूप के साथ सलग्न की जा रही है वास्तें अगामी कार्यवाही रिपोर्ट सादर पेश है।

प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी नें उपस्थित होकर अपने कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी को अपने चक 76 जीबी मुरब्बा नं. –56 पत्थर सं.–278 / 441 का किला नं.–5 का प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है, से पाईप लाईन इसी चक के मुरब्बा नं.–51 पत्थर सं.–278 / 440 का किला नं. –25, 16, 15, 6, 5, मुरब्बा नं.–46 पत्थर सं.–278 / 439 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5 या मुरब्बा नं.–41 पत्थर सं.–278 / 438 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5 में स्थित चक के कच्चे रास्ता से पाईप लाईन निकाल अपनी ही कृषि भूमि के मुरब्बा नं.–36 पत्थर सं.–278 / 437 के किला नं.–25 में लाने के लिए अनुमति दी जाने की कृपा करे।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सानिवि खण्ड [illegible] एम.ओ.सी निमनानुसारः–

श्री जसपालसिंह पुत्र हरदयालसिंह निवासी चक 75 जी बी [illegible] अनूपगढ़ से सूरतगढ़ सड़क पर चक 75 जी बी के मुरब्बा नं.–41 के [illegible] –278 / 438 का किला नं.–5 सड़क के दूसरी ओर पानी की पाईप लाईन डालने के लिए राशि 11342 / –खण्ड कार्यालय में जमा करवाए जाने के पश्चात निम्नलिखित शर्तो के आधार पर अनुमति प्रदान की हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:37 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

1. कार्य सम्पादन के समय यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
2. कार्य दिन के समय किए जाए।
3. ट्रीचिग के बाद दोनों तरफ Hole को अच्छी तरह से सील किया जावे ताकि भविष्य में पाईप के आस पास पानी एकत्रित न हो।
4. पाईप के चारों ओर मिट्टी की अच्छी तरह से Compaction किया जावें।
5. सड़क के साथ साथ पाईप लाईन सड़क के बर्म से 5 फिट छोड़ के डाली जावे तथा कम से कम सड़क से 5 फिट गहरी खुदाई की जावें।

पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हैं प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि चक 76 जीबी मुरब्बा नं.–56 पत्थर सं.–278/441 का किला नं. –5 का प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है, से पाईप लाईन इसी चक के मुरब्बा नं.–51 पत्थर सं.–278/440 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5, मुरब्बा नं.–46 पत्थर सं. –278/439 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5 या मुरब्बा नं.–41 पत्थर सं.–278/438 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5 में स्थित चक के कच्चे रास्ता से पाईप लाईन निकाल अपनी ही कृषि भूमि के मुरब्बा नं.–36 पत्थर सं.–278/437 के किला नं.–25 में लाने के लिए अनुमति चाही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियो के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के वाके चक 76 जी बी मुरब्बा नं.–56 पत्थर सं.–278/441 का किला नं.–5 का प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है, से पाईप लाईन इसी चक के मुरब्बा नं. –51 पत्थर सं.–278/440 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5, मुरब्बा नं.–46 पत्थर सं. –278/439 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5 या मुरब्बा नं.–41 पत्थर सं.–278/438 का किला नं.–25, 16, 15, 6, 5 में स्थित चक के कच्चे रास्ता से पाईप लाईन निकाल अपनी ही कृषि भूमि के **मुरब्बा नं.–36 पत्थर सं.–278/437 के किला नं.–25 में लाने के लिए रेलवे की भूमि व स्टेट हाईवे की भूमि को छोड़ते हुए निम्नलिखित शर्तो के आधार पर भूमिगत पाईपलाईन अनुमति दी जाती है।** कृषि भूमि में 2–2 फिट चौड़ाई में भूमि के अन्दर तीन फिट गहरी पाईपलाईन डालकर सिंचाई करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्तानुसार लघु मार्ग मे से मशीन द्वारा 3–3 फुट गहरा खडडा खोदकर उसमें भूमिगत पाईपलाईन डालकर व गडडो को मिट्टी द्वारा भरकर पुनः उसी स्थिति में समतल किया जावे। पाईप लाईन डालने की ऐवज में प्रतिकर संदाय (राजस्व लेखाकार द्वारा) कर राज. काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दस प्रतिशत राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:37 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश
उपखण्ड अधिकारी

तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ राज कोष में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है। तथा उक्त जमाशुदा राशी का भुगतान निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित है।.

निर्णय आज दिनांक 23/9/25 मेने द्वारा लिखवाया जाकर को सरे ईजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:37 IST
Reason: SelfAttested